झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक, 2023

(सभा द्वारा यथापारित)

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक, 2023

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2. परिभाषायें
3. पर्यवेक्षीय कर्मचारियों के कृत्य
4. साधनों के उपयोग अथवा प्रयोग का प्रतिषेध
5. प्रश्न-पत्र या उसके एक भाग का कब्जा (Possession)व प्रकटीकरण (leakage)
6. परीक्षा कार्य में तैनात या संलग्न व्यक्ति द्वारा प्रकटन (disclosure) की रोकथाम
7. प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक, ओ०एम०आर० शीट का किसी भी रूप में अप्राधिकृत ढंग से कब्जा या प्रकटीकरण
8. परीक्षा केन्द्र में प्रवेश का प्रतिषेध
9. परीक्षा केन्द्र में अनुचित साधनों / उपकरणों के ले जाने का प्रतिषेध
10. प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न कोई स्थान उपयोग अथवा प्रयोग में नहीं लियाजायेगा
11. प्रबंध तंत्र, संस्था, कंपनी या अन्य द्वारा अपराध
12. दण्ड एवं आस्तियां
13. दोषसिद्धि पर विवर्जन/वंचन
14.तलाशी और अभिग्रहण
15. गिरफ्तार करने की शक्ति
16. संपत्ति की कुर्की और अधिहरण (confiscation)
17. सम्पत्ति को निर्मुक्त करना
18. न्यायालय द्वारा सम्पत्ति के अर्जन के स्वरूप के बारे में जाँच
19.जाँच के पश्चात् आदेश
20. अपील
21. समस्त लागत और व्यय का संदाय (भुगतान) करने का प्रबंध-तंत्र इत्यादि का दायित्व
22. अपराधों का संज्ञेय, गैर-जमानतीय और गैर-शमनीय होना
23. किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यकता न होना
24. अपराधों का अन्वेषण
25. विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामले
26.विशेष न्यायालयों को नामित करने की शक्ति
27. सरकारी सेवक
28. अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के न्यूनीकरण में न होना
29. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति
30. नियम बनाने की शक्ति
31. निर्देश या आदेश जारी करने शक्ति
32. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति
33. सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण

झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक, 2023

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक, 2023 हेतु विधेयक।

राज्य में हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न-पत्रों के प्रकटीकरण की घटनाओं ने समाज तथा भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों की चेतना को बुरी तरह प्रभावित किया है। इन घटनाओं को रोकने के लिए कठोर दंड अधिरोपित किए जाने हेतु कानूनी प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है, इस उददेश की पूर्ति हेतु यह विधेयक लाया जा रहा है।

भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम "झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023" कहलायेगा ।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य पर होगा ।

(3) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगा ।

2. परिभाषायें

(1) इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो -

(क) "सरकार" से झारखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "परीक्षा प्राधिकारी" से अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "प्रतियोगी परीक्षा का संचालन" से प्रश्न-पत्रों, उत्तर पत्रकों, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ०एम०आर०) शीट, परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण पर्यवेक्षण, कोडिंग प्रक्रिया, भण्डारण, परिवहन, वितरण/संग्रहण, परीक्षा उपरांत परीक्षा केन्द्रों पर ऑफलाइन (पेपर-पेन) तथा ऑनलाइन (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा) परीक्षा का संचालन, मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा तथा ऐसे ही अन्य कार्य आदि अभिप्रेत है;

(घ) "प्रतियोगी परीक्षा" से राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग/कार्यालय, प्रतियोगी संस्था, निकाय, बोर्ड, निगम या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था के किसी भी पद पर चयन के लिए संचालित होने वाली अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परीक्षाएँ अभिप्रेत है;

(ड.) "परीक्षा केन्द्र" से किसी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियत और प्रयुक्त कोई विद्यालय, शिक्षण संस्थान, कम्प्यूटर केन्द्र, संस्था या उसका भाग या कोई अन्य स्थान तथा सम्पूर्ण परिसर अभिप्रेत है;

(च) "परीक्षार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया गया हो या अन्यथा अनुमति दी गयी हो और इसमें वे व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसेउसके निमित्त श्रुतिलेखक या सहायक के रूप में अधिकृत किया गया हो;

(छ) "अनुचित साधन" में सम्मिलित हैं :-

(1)किसी परीक्षार्थी के संबंध में -

प्रतियोगी परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी रूप में किसी लिखित, अलिखित, उद्धरित प्रतिलिपि, मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी (आई०टी०) से प्राप्त सामग्री या कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता याअन्य अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट इत्यादि का उपयोग अथवा प्रयोग करना;

(2) किसी व्यक्ति के संबंध में -

(i) प्रश्न-पत्र के प्रतिरूपण (copy) या प्रकटन (leakage) या प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षडयंत्र करना।

(ii) अप्राधिकृत रीति से प्रश्न-पत्र को प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना या कब्जे में लेना या कब्जे में लेने का प्रयास करना।

(iii) अप्राधिकृत रीति से प्रश्न-पत्र को हल करना या हल करने का प्रयास करना या प्रश्न-पत्र हल करने में सहायता मांगना।

(iv)अप्राधिकृत रीति से प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना।

(v)ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रश्नों या प्रश्न-पत्र का विवरण (डाटा) अप्राधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराना या हल करने हेतु निर्धारित कम्प्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क या सर्वर आदि से छेड़छाड़ करना और इसके लिए सहायता करना।

(vi) परीक्षा के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ०एम०आर०) शीट या प्राप्तांकों में किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ कर प्रवीणता(मेरिट) कोप्रभावित करना।

(Vii) परीक्षा कक्ष में या उसके बाहर कार्य (ड्यूटी) में तैनात पर्यवेक्षीय कर्मचारियों को या उनके किसी मित्र को या उनके किसी रिश्तेदार को चोट पहुँचाने की {चाहे मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों या दृश्यमान प्रस्तुतियों (visiblerepresentation) द्वारा} धमकी देना; या अन्यथा पर्यवेक्षीय कर्मचारियों या परीक्षा हॉल में या उसके बाहर कार्य (ड्यूटी) में तैनात किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की रियायत/सहमति दिखाने के लिए प्रेरित करना।

(viii) उत्तर पुस्तिका में अपशब्द या अश्लील एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करना।

(ix)यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अनुचित साधनों में संलिप्त है और धोखाधड़ी में पकड़ा गया है, लेकिन उक्त स्थिति के पश्चात् यदि संलिप्त व्यक्तियों ने न्यायालय में आपसी सहमति से मामले को समाप्त करने का प्रयास किया तो, परीक्षा प्राधिकरण की सहमति के बिना ऐसा नहीं किया जाएगा।

(x) किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न-पत्र की चोरी, जबरन वसूली या डकैती या परीक्षा प्राधिकरण के निर्धारित नियमों के विरुद्ध किसी भी प्रकार से उत्तर पुस्तिका और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ०एम०आर०) शीट को हटाना या नष्ट करना ।

(ज) "सेवा प्रदाता" से ऐसी कम्पनियाँ, संस्थान व संगठन अभिप्रेत है, जो प्रतियोगी परीक्षा संबंधी कार्यों के संपादन के लिये, परीक्षा प्राधिकरण द्वारासेवा दिये जाने हेतु सेवा प्रदाता के रूप में आबद्ध (bound)है, इसमें उनके प्रबंध-तंत्र तथा ऐसे सभी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जो परीक्षा प्राधिकरण की संबंधित परीक्षा के लिये लगाये गये हों;

(झ) "कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित 'कम्पनी' अभिप्रेत है;

(ञ)"सीमित दायित्व भागीदारी" से राज्य के ऐसे सभी कर्मचारी व अधिकारी तथा परीक्षा केन्द्रों तथा उनके कर्मचारीगणतथा आयोग के कार्मिकों की परीक्षा में भागीदारी अभिप्रेत है, जो किसी परीक्षा में सीमित दायित्वों का निर्वहन करने हेतु तैनात हैं या संबद्ध हैं अथवा कार्य में लगाये गये हैं ।

(ट)"संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है ।

(ठ)"पर्यवेक्षीय कर्मचारीगण" से परीक्षा प्राधिकरण द्वारा किसी भी विधि के अधीन परीक्षा के पर्यवेक्षण और संचालन के लिए नियुक्त कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसमें ऐसे अन्य व्यक्ति भी शामिल होंगे जिन्हें सक्षम परीक्षा प्राधिकरण द्वारा परीक्षा के संचालन से जुड़े कर्तव्यों और कृत्यों के निष्पादन के लिए नियुक्त किया गया हो;

(ड)"कोचिंग संस्थान" से राज्य सरकार के किसी परीक्षा प्राधिकरण (जैसा कि अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट है) द्वारा आयोजित लिखित या मौखिक परीक्षा के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के पूर्व कोचिंग प्रदान करने वाला संस्थान अभिप्रेत है;

(ढ)"पुलिस उपाधीक्षक" से पुलिस अनुमण्डल का प्रभारी पुलिस अधिकारी एवं इसके समकक्ष पद के पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है;

(ण)"विशेष न्यायालय" से अधिनियम की धारा 26 के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट सत्र (कोर्ट ऑफ सेशन्स) न्यायालय अभिप्रेत है;

(2) शब्द और पद जो इसमें परिभाषित नहीं किये गए हैं, किंतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45) में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा, जो क्रमशः उस संहिता में समनुदेशित (assigned) किये गये हैं।

3. पर्यवेक्षीय कर्मचारियों के कृत्य

पर्यवेक्षीय कर्मचारी बाध्य होगा -

(क) विधियों या विनियमों के अधीन या उसके अनुसार निर्दिष्ट कृत्यों का निष्पादन करने के लिए बाध्य होगा।

(ख) किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार के अनुचित साधन के उपयोग अथवा प्रयोग की अनुमति नहीं देगा, या उससे मिलीभगत नहीं करेगा और बढ़ावा नहीं देगा ।

(ग) निरीक्षण दल के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने या उसके आस-पास या इधर-उधर घूमने की अनुमति नहीं देगा ।

4. साधनों के उपयोग अथवा प्रयोग का प्रतिषेध

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग अथवा प्रयोग नहीं करेगा ।

5. प्रश्न-पत्र या उसके एक भाग का कब्जा (Possession)व प्रकटीकरण (leakage)

प्रतियोगी परीक्षा के संचालन के लिए प्रश्न-पत्रों को तैयार करने, प्रश्न-पत्रों को मुद्रित करने,प्रश्न-पत्रों को डिजिटल रूप से भेजने, मुद्रित प्रश्न-पत्रों का परिवहन करने, प्रश्न-पत्रों को परीक्षा के पूर्व व परीक्षा के दौरान रखे जाने हेतु प्राधिकृत कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों के आधार पर नियत समय से पूर्व निम्नलिखित कृत्य नहीं करेगा :-

(क) ऐसे प्रश्न-पत्रों या उसके भाग या उसकी प्रति पैकिंग को खोलना, प्रकट करना (disclose),प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना, कब्जे में लेना या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रीति से तैयार प्रश्न-पत्रों या प्रश्नों या प्रश्नों के विवरण (डाटा) को प्राप्त करना, प्रश्न-पत्र का विवरण (डाटा) प्राप्त करने के लिए पासवर्ड लेना आदि तथा उन्हें हल करना; या

(ख) किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को कोई गोपनीय सूचना देना या ऐसी गोपनीय सूचना देने का प्रयास करना या वचन देना, जहाँ ऐसी गोपनीय सूचना ऐसे प्रश्न-पत्र से संबंधित है या उसके संबंध में है;

(ग) ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र का विवरण (डाटा) किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा या ऐसा करने के लिए किसी कम्प्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क या सर्वर से छेड़-छाड़ नहीं करेगा।

6. परीक्षा कार्य में तैनात या संलग्न व्यक्ति द्वारा प्रकटन (disclosure) की रोकथाम

कोई भी व्यक्ति, जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित किसी भी कार्य में तैनात या संलग्न है, सिवाय उस दशा के जहां वह ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर अधिकृत हो, ऐसी सूचना या उसका भाग, जो उसे इस प्रकार तैनाती के आधार पर जानकारी में आया है, किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा या प्रकट नहीं करवायेगा या नहीं बतायेगा । यदि

ऐसी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित है तो उसका पासवर्ड या कोई भी अन्य विवरण (डाटा) प्रकटन नहीं करेगा ।

7. प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक, ओ०एम०आर० शीट का किसी भी रूप में अप्राधिकृत ढंग से कब्जा या प्रकटीकरण

कोई भी व्यक्ति, जो प्रश्न-पत्रों के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व ऐसा करने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत नहीं है या जिसे अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञा प्राप्त नहीं है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में:-

(क) ऐसा प्रश्न-पत्र या उत्तर पत्रक या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ०एम०आर०) शीट या उसका कोई भाग या प्रतिलिपि किसी भी रूप में प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा या कब्जे में नहीं लेगा; अथवा

(ख) ऐसी सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव नहीं करेगा जिसके, ऐसे प्रश्न-पत्र से संबद्ध/ हितबद्ध होने या प्राप्त होने या संबंधित होने के बारे में वह जानता है या ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण है ।

8. परीक्षा केन्द्र में प्रवेश का प्रतिषेध

कोई भी व्यक्ति, जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य में तैनात नहीं है या जो प्रतियोगी परीक्षा के संचालन कार्य में नहीं लगाया गया है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा ।

9. परीक्षा केन्द्र में अनुचित साधनों / उपकरणों के ले जाने का प्रतिषेध

कोई भी परीक्षार्थी या परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति, परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा । परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, कैल्कुलेटर, पेजर, चिप, कम्प्यूटर को प्रभावित करने वाला कोई उपकरण इत्यादि) ले जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा ।

10. प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न कोई स्थान उपयोग अथवा प्रयोग में नहीं लियाजायेगा

कोई भी व्यक्ति जिसे प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य सौंपा गया है या जो उसमें लगा हुआ है, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराने के प्रयोजन से परीक्षा केन्द्र से भिन्न अन्य किसी स्थान का उपयोग अथवा प्रयोग नहीं करेगा और न ही करवायेगा ।

11. प्रबंध तंत्र, संस्था, कंपनी या अन्य द्वारा अपराध

(1)जब कभी प्रबंध-तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या परीक्षा के लिए अनुबंधित या आदेशित सेवा-प्रदाता व अन्य द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित किये जाने के समय प्रबंध-तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या परीक्षा के लिए अनुबंधित या आदेशित सेवा-प्रदाता व अन्य के कारोबार का प्रभारी था, या प्रबंध-तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के कारोबार के संचालन के प्रति उत्तरदायी था;साथ ही साथ,प्रबंध-तंत्र या संस्था या सीमित

दायित्व भागीदारी या परीक्षा के लिए अनुबंधित या आदेशित सेवा-प्रदाता व अन्य भी अपराध के दोषी समझे जाएंगे और स्वयं के विरुद्ध अभियोग/मुकदमा चलाये जाने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा तदनुसार दण्डित किया जाएंगे ।

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्निहित कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी दण्ड के लिए उत्तरदायी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था और यह कि उसने उस अपराध को कारित होने से रोकने के लिए सम्यक सतर्कता एवं तत्परता बरती थी।

(2) परीक्षाओं एवं परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न-पत्रों एवं उत्तर पत्रकों के संबंध में झूठी, भ्रामक एवं मिथ्या सूचना देने तथा शिकायतों को प्रसारित एवं प्रकाशित करने वाले प्रबंध-तंत्र, संस्था व व्यक्ति अपराध का दोषी समझा जाएगा और स्वयं के विरुद्ध अभियोग/मुकदमा चलाये जाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा तदनुसार दण्डित किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध, किसी प्रबंध-तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य द्वारा कारित किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध प्रबंध-तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या सेवा-प्रदाता या अन्य के किसी निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता या उनकी किसी अपेक्षा के फलस्वरूप कारित किया गया है तो ऐसा निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी अपराध का दोषी समझा जाएगा और स्वयं के विरुद्ध अभियोग/मुकदमा चलाये जाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा तदनुसार दण्डित किया जाएगा।

(4) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी प्रतियोगी परीक्षा के संचालन में लगी कम्पनी द्वारा किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कम्पनी का प्रभारी था और कम्पनी के व्यवसाय के संचालन के लिए भी जिम्मेदार था, कम्पनी के रूप मेंअपराध का दोषी समझा जाएगा और स्वयं के विरुद्ध अभियोग/ मुकदमा चलाये जाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा तदनुसार दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजन के लिए 'कम्पनी' से कोई भी / निगमित (कॉर्पोरेट) और इसमें एक फर्म या व्यक्ति का अन्य संघ अभिप्रेत है।

12. दण्ड एवं आस्तियां

(1)यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा (ऑनलाईन और ऑफलाईन) में स्वयं नकल करते हुए या किसी अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए या धारा 2(छ)(1) के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधनों मेंसंलिप्त पाया जाता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष की होगीऔर ऐसे जुर्माने से, जो पाँच लाख रूपये से कम नहीं होगा, दण्डित होगा तथा जुर्माने के संदाय (भुगतान) में चूक करने पर ऐसा परीक्षार्थी नौ माह की अतिरिक्त अवधि के कारावास से, दण्डित होगा।

परन्तु यदि वह परीक्षार्थी पुनः (दूसरी बार) किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा (ऑनलाईन और ऑफलाइन) में स्वयं नकल करते हुए या किसी अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए, याधारा 2 (छ)(1) के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधनों में संलिप्त पाया जाता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगीऔर ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रूपये से कम नहीं होगा, दण्डित होगा तथा जुर्माने के संदाय (भुगतान) में चूक करने पर ऐसा परीक्षार्थी तीस माह की अतिरिक्त अवधि के कारावास से, दण्डित होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा संचालन हेतु अनुबंधित या आदेशित सेवा प्रदाता, परीक्षा कराने का प्रबंध तंत्र, परीक्षा सामग्री सुरक्षित रखने या परिवहन हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति या संस्था, परीक्षा प्राधिकरण का कोई कार्मिक, सीमित दायित्व भागीदारी, कोचिंग संस्थान अथवा अन्य कोई संस्था, षड्यंत्र में या अन्यथा धारा 2 (छ)(2) में यथा परिभाषित अनुचित साधनों में संलिप्त है या संलिप्त होने का प्रयत्न करता है या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो करोड़ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस करोड़ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने के संदाय (भुगतान) में चूक करने पर ऐसा व्यक्ति तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के कारावास से, दण्डित होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध में परीक्षा प्राधिकरण के साथ षड़यंत्र करता है या अन्यथा अनुचित साधनों में संलिप्त होता है या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो करोड़ रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस करोड़ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने के संदाय (भुगतान) में चूक करने पर ऐसा व्यक्ति तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के कारावास से, दण्डित होगा।

(4) जो कोई भी व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा संचालन हेतु अनुबंधित या आदेशित सेवा- प्रदाता, परीक्षा कराने का प्रबंध तंत्र, परीक्षा सामग्री सुरक्षित रखने या परिवहन हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति या संस्था, परीक्षा प्राधिकरण का कोई कार्मिक, सीमित दायित्व भागीदारी, कोचिंग संस्थान अथवा अन्य कोई संस्था किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न-पत्रों की किसी भी समय परीक्षा समाप्त होने के पूर्व या उसके पश्चात् चोरी, जबरन वसूली, लूट में शामिल रहता है या उत्तर पत्रकों या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ०एम०आर०) शीट की किसी भी प्रकार से अनधिकृत रूप से नष्ट करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं0 45) में अंतर्निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष के कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष के कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक करोड़ रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो करोड़ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित होगा तथा जुर्माने के संदाय (भुगतान) में चूक करने पर ऐसा व्यक्ति तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के कारावास से, दण्डित होगा ।

13. दोषसिद्धि पर विवर्जन/वंचन

(1)कोई परीक्षार्थी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है तो ऐसे अभियोजन पर परीक्षार्थी को, आरोप-पत्र दाखिल होने की तिथि से दो से पाँच वर्ष की कालावधि तथा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर दस वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने/बैठने से वंचित (debar) कर दिया जाएगा ।

परन्तु यदि परीक्षार्थी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः अभियोजित किया जाता है तो ऐसे अभियोजन पर परीक्षार्थी को आरोप-पत्र दाखिल होने की तिथि से पाँच से दस वर्ष की कालावधि तथा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर आजीवन कालावधि के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने / बैठने से वंचित (debar) कर दिया जाएगा ।

(2) विवर्जन/वंचन हेतु अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अधिकृत होंगे ।

14.तलाशी और अभिग्रहण

(1)जहाँ जिला मजिस्ट्रेट के पास, अभिप्राप्त जानकारी के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए कारण लेखबद्ध किये जाएंगे) कि किसी व्यक्ति ने,

(क) ऐसा कोई कार्य किया है जो अनुचित साधनों का गठन करता है, या

(ख) अनुचित साधनों में संलिप्त अपराध के किसी आगम (आय) को कब्जे में रखा है, या

(ग) अनुचित साधनों से संबंधित कोई अभिलेख कब्जे में रखा है, या

(घ) अपराध से संबंधित किसी सम्पत्ति को कब्जे में रखा है,

तो वह इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन किसी अधिकारी को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत कर सकेगा-

(i) किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में, जहाँ उसके पास यह संदेह करने के कारण हैं कि ऐसे अभिलेख या अपराध के आगम (आय) रखे गए हैं, प्रवेश करना और तलाशी लेना;

(ii)किसी दरवाजे, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमारी या अन्य आधान (गोदाम) का, जहाँ उनकी चाबियां उपलब्ध नहीं हैं, खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ताला तोड़कर खोलना;

(iii)ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी अभिलेख या सम्पत्ति को अभिगृहीत (Seize) करना;

(iv)ऐसे अभिलेख या सम्पत्ति पर, यदि अपेक्षित हो, पर पहचान के चिह्न लगाना या उससे उद्धरण या प्रतियां लेना या तैयार करना या करवाना

(v)ऐसे अभिलेख या सम्पत्ति का टिप्पण या सूची तैयार करना;

(ङ) ऐसे किसी व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा करना जिसके कब्जे में या नियंत्रण में ऐसा अभिलेख व सम्पत्ति पाई जाती है जो इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत सभी मामलों से संबंधित है।

(2)वह प्राधिकारी, जिसे उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया है, तलाशी और अधिग्रहण के ठीक पश्चात् इस प्रकार अभिलिखित किए गए कारणों की एक प्रति उस उप-धारा में निर्दिष्ट ऐसी रीति से जो विहित की जाए उसके कब्जे में की सामग्री के साथसील बन्द लिफाफे में, विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा और ऐसा विशेष न्यायालय ऐसे कारण और सामग्री को ऐसी अवधि तक रखेगा, जैसा विहित किया जाए।

(3)जहां किसी प्राधिकारी को अभिप्राप्त जानकारी पर समाधान हो जाता है कि कोई साक्ष्य छिपाया या बिगाड़ा जाएगा, या उसके छिपाए या बिगाड़े जाने की सम्भावना है, वहां वह ऐसे लेखबद्ध किए गएकारणों में, उस भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा, जहाँ ऐसा साक्ष्य अवस्थित है और उस साक्ष्य को अभिगृहीत (seize) कर सकेगा;

परन्तु उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई प्राधिकारी इस उप-धारा के अधीन तलाशी के लिए अधिकृत नहीं होगा ।

15. गिरफ्तार करने की शक्ति

(1)यदि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत पुलिस अधिकारीके पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए कारण लेखबद्ध किये जाएंगे) कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और यथासंभव शीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा ।

(2)यदि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत पुलिस अधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति के गिरफ्तार किए जाने के ठीक पश्चात् उप-धारा में निर्दिष्ट उसके कब्जे में की सामग्री के साथ ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सीलबंद लिफाफे में आदेश की एक प्रति, ऐसे विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा और ऐसा विशेष न्यायालय ऐसे आदेश और सामग्री को ऐसी अवधि तक रखेगा जो विहित की जाए ।

16. संपति की कुर्की और अधिहरण (confiscation)

(1)कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किन्हीं आगमों (आय) को धारित नहीं करेगा या कब्जे में नहीं रखेगा ।

(2)यदिजिला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में स्थित कोई सम्पति, चाहे वह चल हो या अचल, किसी व्यक्ति के द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित की गयी है, तो वह ऐसी सम्पति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है, चाहे किसी विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध का संज्ञान किया गया हो या नहीं ।

(3)प्रत्येक ऐसी कुर्की पर संहिता के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन के साथ (mutatis mutandis), लागू होंगे ।

(4)संहिता के उपबन्धों के होते हुए भी जिला मजिस्ट्रेट, उप-धारा (2) के अधीन कुर्क की गयी किसी सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है तथा प्रशासक को ऐसी सम्पत्ति के सर्वोत्तम हित में उसका प्रबन्ध करने की सभी शक्तियाँ होंगी ।

(5)जिला मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति के उचित और प्रभावी प्रबन्ध के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता की व्यवस्था कर सकता है ।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजन के लिए "इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के आगम (आय)" से समस्त प्रकार की ऐसी संपत्तियां अभिप्रेत हैं, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कारित करने से व्युत्पन्न हुई हों या अभिप्राप्त की गई हों या इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित निधियों के माध्यम से अर्जित की गई हों और इसमें नकदी भी सम्मिलित होगी, बिना उस व्यक्ति का विचार किये जिसके नाम से ऐसे आगम हैं या जिसके कब्जे में वे पाये जाते हैं ।

17. सम्पत्ति को निर्मुक्त करना

(1) जहाँ धारा 16 के अधीन कोई सम्पत्ति कुर्क की जाए, वहां उसका दावेदार ऐसी कुर्की की जानकारी की तिथि से तीन माह के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अपने द्वारा उस सम्पत्ति के अर्जन की परिस्थितियों और स्रोतों को दर्शाते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन किये गये दावे की वास्तविकता के बारे में जिला मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाए तो वह कुर्क की गयी सम्पति को तत्काल निर्मुक्त कर देगा और तदोपरान्त ऐसी सम्पत्ति दावेदार को व्यक्तिगत बॉन्ड निष्पादित करने पर सौंप दी जाएगी ।

18. न्यायालय द्वारा सम्पत्ति के अर्जन के स्वरूप के बारे में जाँच

(1) जहाँ धारा 17 की उप-धारा (1) मेंविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन नहीं दिया जाता है या जिला मजिस्ट्रेट धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन सम्पति को निर्मुक्त नहीं करता है, वहाँ वह इस अधिनियम के अधीन मामले को अपनी आख्या (रिपोर्ट) के साथ अपराध का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा ।

(2) जहाँ जिला मजिस्ट्रेट ने किसी सम्पत्ति को धारा 16 की उप-धारा (2) के अधीन कुर्क करने से इन्कार किया है या किसी सम्पत्ति को धारा 17 की उप- धारा (2) के अधीन निर्मुक्त करने का आदेश दिया है, वहाँ राज्य सरकार या कोई व्यक्ति जो इस प्रकार इन्कार करने या निर्मुक्त करने से व्यथित हो, यह जाँच करने के लिए कि क्या प्रश्नगत सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के द्वारा अर्जित की गई थी या उसके परिणाम स्वरूप है, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को आवेदन पत्र दे सकता है ।

विशेष न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, ऐसी सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन निर्देश/संदर्भ प्राप्त होने या उप-धारा (2) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विशेष न्यायालय जाँच के लिए कोई तिथि नियत करेगा और उसकी नोटिस उप-धारा (2) के अधीन आवेदन पत्र देने वाले व्यक्ति को या, यथास्थिति, धारा 17 के अधीन अभ्यावेदन देने वाले व्यक्ति और राज्य सरकार और किसी अन्य व्यक्ति को भी जिसका हित इस मामले में अंतर्निहित प्रतीत हो, देगा ।

(4) इस प्रकार नियत तिथि को या किसी पश्चातवर्ती तिथि को, जब तक के लिए जाँच स्थगित किया जा सके, विशेष न्यायालय पक्षकारों की सुनवाई करेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ग्रहण करेगा, ऐसे और साक्ष्य लेगा जिसे वह आवश्यक समझे और यह विनिश्चय करेगा कि क्या प्रश्नगत सम्पत्ति किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित की गयी थी तथा धारा 19 के अधीन ऐसा आदेश देगा, जो मामले की परिस्थितियों में न्याय संगत और आवश्यक हो ।

(5) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में यह साबित करने का भार, कि प्रश्नगत सम्पत्ति या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित नहीं किया गया था, सम्पत्ति पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा ।

19.जाँच के पश्चात् आदेश

(1)यदि ऐसी जाँच पर विशेष न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रश्नगत सम्पत्ति किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य कारित किए जाने के परिणामस्वरूप अर्जित नहीं की गई थी, तो वह उस सम्पत्ति को ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निर्मुक्त करने का आदेश देगा जिसके कब्जे से वह कुर्क की गयी थी ।

(2)जहाँ अभियुक्त इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तो विशेष न्यायालय कोई दण्ड अधिरोपित करने के निर्णय के अतिरिक्त, लिखित में आदेश द्वारा यह घोषित कर सकता है कि आदेश में विनिर्दिष्ट और अभियुक्त से संबंधित ऋणभारों से मुक्त कोई भी चल या अचल या दोनों सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित समझी जाएगी ।

20. अपील

संहिता के अध्याय- XXIX के उपबन्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पारित विशेष न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के विरूद्ध अपील पर यथाआवश्यक परिवर्तन के साथ (mutatismutandis) लागू होंगे ।

21. समस्त लागत और व्यय का संदाय (भुगतान) करने का प्रबंध-तंत्र इत्यादि का दायित्व

यदि कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा संचालन हेतु अनुबंधित या आदेशित सेवा-प्रदाता, परीक्षा कराने का प्रबंध तंत्र, परीक्षा सामग्री सुरक्षित रखने या परिवहन हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति या संस्था, परीक्षा प्राधिकरण का कोई कार्मिक, सीमित दायित्व भागीदारी, कोचिंग संस्थान अथवा अन्य कोई संस्था इस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2), (3) एवं (4) के अधीन अपराध का दोषी पाया जाता है तो वह, जैसा इस अधिनियम में परिभाषित विशेष न्यायालय निर्धारित करें, परीक्षा से संबंधित समस्त लागत और व्यय का संदाय (भुगतान) करने के लिए उत्तरदायी होगा और उन्हें इससे सदैव के लिए प्रतिबंधित किया जायेगा ।

22. अपराधों का संज्ञेय, गैर-जमानतीय और गैर-शमनीय होना

विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाले तथ्यों से संबंधित पुलिस रिपोर्ट या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत पक्ष द्वारा इस निमित्त की गई किसी शिकायत पर उस अपराध का संज्ञान ले सकता है जिसके लिए अभियुक्त ने परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध किया है।

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समस्त अपराध संज्ञेय, गैर-जमानतीय और गैर-शमनीय होंगे।

(ख) इस अधिनियम के अधीन सात वर्ष से अधिक के कारावास की सजा से दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त को जमानत पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा:-

(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए जमानत आवेदन का विरोध करने के लिए एक अवसर दे दिया गया है, तथा

(ii)जहां लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करता है वहां विशेष न्यायालय को यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए समुचित आधार है कि, वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत के दौरान कोई अपराध किये जाने की सम्भावना नहीं है;

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति यदि परीक्षार्थी है या महिला है या बीमार है या अशक्त है तो उसे जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश दे।

23. किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यकता न होना

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़०आई०आर०) दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी; या

(ख) यदि आवश्यक हो, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारीसे पूर्व अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी

अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है तथा इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी ।

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निदेश के होते हुए भी, संहिता की धारा 438 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले में लागू नहीं होंगे ।

24. अपराधों का अन्वेषण

पुलिस उपाधीक्षक (जिन जिलों में पुलिस उपाधीक्षक तैनात न हो वहाँ पुलिस अधीक्षक) के पद से अन्यून कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधिकारिता क्षेत्र में किसी भी अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा।

25. विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामले

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारणइस अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालयों द्वारा ही किया जाएगा ।

26.विशेष न्यायालयों को नामित करने की शक्ति

राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, उतने संख्या में सत्र (सेशन) न्यायालयों को विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करेगी ।

27. सरकारी सेवक

इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए 'सरकारी सेवक' का अर्थ हैं और इसमें कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है: (i) चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या (ii) कोई अन्य व्यक्ति, जो परीक्षा प्राधिकरण जैसा कि अनुसूची-I में विशिष्ट रूप से उल्लेखित है, द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षा के आयोजन में नियोजित किया गया हो ।

28. अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के न्यूनीकरण में न होना

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके न्यूनीकरण में ।

29. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति

(1)यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हो तथा जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों। परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2)इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य के विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा ।

30. नियम बनाने की शक्ति

(1)राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2)इस धारा के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियमों कोउनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानसभा के पटल पर, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा ।

31. निर्देश या आदेश जारी करने शक्ति

राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर लिखित में निर्देश या आदेश जारी कर सकेगी ।

32. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे अन्य परीक्षा और प्राधिकारी को, जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना आवश्यक समझती है, अनुसूची-1 और 2 में सम्मिलित या बाहर कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर अनुसूची -1 और 2तदनुसार संशोधित समझी जाएगी ।

33. सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण

राज्य सरकार या किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कार्य के लिए, जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

अनुसूची-1
[धारा- 2 (1) (ख)]

(1) झारखण्ड लोक सेवा आयोग

(2) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

(3) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या गठित कोई अन्य प्राधिकारी या अभिकरण या भर्ती समिति

(4) राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालय

(5) झारखण्ड अधिविद्य परिषद (जैक)

(6) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक लोक उपक्रम (PSU)

(7) कोई सोसाइटी, निगम, स्थानीय निकाय या राज्य सरकार के पूर्णतः अथवा अंशतः स्वामित्वाधीन समस्त सार्वजनिक लोक उपक्रम (PSU)

(8) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकारी

अनुसूची-2

[धारा- 2 (1) (घ)]

(1) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित कोई परीक्षा।

(2) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित कोई परीक्षा

(3) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या गठित कोई अन्य प्राधिकारी या अभिकरण या भर्ती समिति द्वारा संचालित कोई परीक्षा।

(4) राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्विद्यालय द्वारा संचालित कोई भर्ती परीक्षा।

(5) झारखण्ड अधिविद्य परिषद (जैक) द्वारा संचालित कोई भर्ती परीक्षा ।

(6) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक लोक उपक्रम (PSU) द्वारा संचालित कोई परीक्षा।

(7) किसी सोसाइटी, निगम, स्थानीय निकाय या राज्य सरकार के पूर्णतः अथवा अंशतः स्वामित्वाधीन समस्त सार्वजनिक लोक उपक्रम (PSU) द्वारा संचालित कोई अन्य परीक्षा ।

(8) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अभिकरण द्वारा संचालित कोई अन्य परीक्षा।

यह विधेयक झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक, 2023 दिनांक 03 अगस्त, 2023 को झारखण्ड विधान सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 03 अगस्त, 2023 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(रबीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 36--50--11-08-2023 ।